2015 का विधेयक सं.21

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (xiii) के विद्यमान उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(क) नगर निगम के मामले में आयुक्त;"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 55 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (3) के विद्यमान खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा] अर्थात्:-

"(ii) एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां:

परन्तु प्रत्येक नगरपालिका, पचास वार्डों तक के लिए एक समिति, इक्यावन वार्डों से पचहत्तर वार्डों तक के लिए दो समितियां और पचहत्तर से अधिक वार्डों के लिए तीन समितियां गठित कर सकेगी;"।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18, में नयी धारा 69-क का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 69 के पश्चात्

और विद्यमान धारा 70 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**69-क. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पट्टा विलेख जारी करना.-** (1) कोई व्यक्ति जो नगरपालिक क्षेत्र के भीतर, नगरपालिका द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है, वह, विहित रीति से, नगरपालिका से पट्टाधृत अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में नगरपालिका के पक्ष में अपने अधिकारों का, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा और नगरपालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार नगरपालिका में निहित हो जायेंगे और नगरपालिका, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस और प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, धारक को उक्त भूमि का पट्टा जारी कर सकेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन जारी पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) के अधीन नगरपालिका द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।"।

5. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 332 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 332 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों तथा धारा 337 के अधीन बनाये गये नियमों या इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करेगी-

(i) प्रत्येक नगर निगम के लिए एक आयुक्त;

(ii) प्रत्येक नगर निगम के लिए इतनी संख्या में अपर आयुक्त या उपायुक्त, जो अवधारित की जाये;

(iii) प्रत्येक नगर परिषद् के लिए एक आयुक्त;

(iv) प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड के लिए एक कार्यपालक अधिकारी;

(v) ऐसे प्रत्येक नगर निगम या नगर परिषद्, जो आयुक्त के अतिरिक्त, सचिव नियुक्त करने का संकल्प करे, के लिए एक सचिव; और

(vi) किसी भी नाम और पदनाम से, कोई भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जो आवश्यक समझा जाये।"; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) के पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1क) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नगर निगम के आयुक्त की ऐसी शक्तियों, कृत्यों या कर्तव्यों का प्रत्यायोजन, उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के अधीन नियुक्त किये गये किसी अपर आयुक्त या किसी उपायुक्त को कर सकेगी, जैसाकि वह ठीक समझे।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगर निगम के मुख्य नगरपालिक अधिकारियों का वर्तमान पदनाम "मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त" के स्थान पर "आयुक्त" के रूप में किया जाना प्रस्तावित है। यह भी प्रस्तावित है कि नगर निगम के आयुक्तों को उनके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपर आयुक्त और उपायुक्त की नियुक्ति के लिए भी उपबंध किया जाये और राज्य सरकार को मुख्य नगरपालिक अधिकारियों की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य सौंपने के लिए सशक्त किया जाये। तदनुसार, नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 2(xiii)(क) और धारा 332 (1) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना और धारा 332 में एक नयी उप-धारा (1क) अन्त:स्थापित की जानी प्रस्तावित है।

उक्त अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (3) का विद्यमान खण्ड (ii) स्वास्थ्य और स्वच्छता के मामले को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के प्रयोजन के लिए केवल एक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति के गठन का उपबंध करता है। समितियों की संख्या की सीमा नियत करने के लिए, अर्थात् पचास वार्डों तक के लिए एक समिति, इक्यावन वार्डों से पचहत्तर वार्डों तक के लिए दो समितियां और पचहत्तर से अधिक वार्डों के लिए तीन समितियां, उप-धारा (3) का विद्यमान खण्ड (ii) संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित ऐसी गैर-कृषि भूमि के धारकों को, जो उस पर अपने अधिकार और हित अभ्यर्पित करने के इच्छुक हों, पट्टाधृत अधिकार प्रदान करने के लिए नगरपालिकाओं को समर्थ बनाने के लिए उक्त अधिनियम में एक नयी धारा 69-क अन्त:स्थापित की जानी ईप्सित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजपाल सिंह शेखावत,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को उस रीति के संबंध में, जिससे कोई व्यक्ति भूमि में किसी नगरपालिका के पक्ष में अपने अधिकारों को अभ्यर्पित कर सकेगा, नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

राजपाल सिंह शेखावत,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) से (xii) XX XX XX XX XX

(xiii) "मुख्य नगरपालिक अधिकारी" से अभिप्रेत है,-

(क) नगर निगम के मामले में मुख्य कार्यपालक अधिकारी और आयुक्त;

(ख) नगर परिषद् के मामले में आयुक्त; और

(ग) नगरपालिक बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी;

(xiv) से (lxxiii) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

55. समितियां.- (1) से (2)XX XX XX XX XX

(3) कार्यपालक समिति के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरपालिका दस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनी निम्नलिखित समितियां भी गठित करेगी, अर्थात्:-

(i) वित्त समिति;

(ii) स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति;

(iii) भवन अनुज्ञा और संकर्म समिति;

(iv) गन्दी बस्ती सुधार समिति;

(v) नियम और उप-विधियां समिति;

(vi) अपराधों का शमन और समझौता समिति; और

(vii) नगरपालिका के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए वह नगर निगम के मामले में आठ से अनधिक, नगर परिषद्

के मामलें में छह से अनधिक, और नगरपालिक बोर्ड के मामले में चार से अनधिक ऐसी अन्य समितियां भी गठित कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे:

परन्तु राज्य सरकार नगरपालिका के कृत्यों को दृष्टिगत रखते हुए, इस खण्ड में विनिर्दिष्ट समितियों की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर सकेगी।

(4) से (5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

332. राजस्थान नगरपालिक प्रशासनिक सेवा.- (1) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों तथा धारा 337 के अधीन बनाये गये नियमों या इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त करेगी-

(i) प्रत्येक नगर निगम के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

(ii) प्रत्येक नगर निगम और नगर परिषद् के लिए ऐसी संख्या में आयुक्त, जो अवधारित की जाये,

(iii) प्रत्येक नगरपालिक बोर्ड के लिए कार्यपालक अधिकारी,

(iv) ऐसे प्रत्येक नगर निगम या नगर परिषद्, जो आयुक्त के अतिरिक्त, सचिव नियुक्त करने का संकल्प करे, के लिए एक सचिव, और

(v) किसी भी नाम और पदनाम से, कोई भी अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जो आवश्यक समझा जाये।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 21 of 2015

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing sub-clause (a) of clause (xiii) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(a) the Commissioner, in case of a Municipal Corporation; ".

3. Amendment of section 55, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- For the existing clause (ii) of sub-section (3) of section 55 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(ii) one or more health and sanitation committees:

Provided that every Municipality may constitute one committee for wards upto fifty, two committees for fifty one wards to seventy five wards and three committees for wards exceeding seventy five;".

4. Insertion of new section 69-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- After the existing section 69 and before the existing section 70 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**69-A. Acceptance of surrender of rights in certain lands and issue of lease deed.-** (1) Any person

who holds non-agricultural land within the municipal area otherwise than under a lease or licence issued by the Municipality may, in the prescribed manner, surrender his rights in such land in favour of the Municipality for the purpose of obtaining lease hold rights from the Municipality and the Municipality may accept such rights.

(2) On acceptance by Municipality of rights under sub-section (1), all the rights of the holder in the said land shall vest in the Municipality and the Municipality shall, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder and on payment by the holder such fee or charges as may be determined by the State Government, issue the holder lease of the said land.

(3) The lease issued under sub-section (2) shall be subject to all the covenants and encumbrances which were attached to the land and existed immediately before acceptance by the Municipality of the rights under sub-section (1) .".

5. Amendment of section 332, Act No.18 of 2009.- In section 332 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Subject to the forgoing provisions of this Chapter and the rules made under section 337 or any other provision of this Chapter, the State Government shall appoint-

(i) one Commissioner for every Municipal Corporation;

(ii) such number of Additional Commissioners or Deputy Commissioners for every Municipal Corporation as may be determined;

(iii) one Commissioner for every Municipal Council;

(iv) an Executive Officer for every Municipal Board;

(v) a Secretary for every Municipal Corporation or Municipal Council

which resolves to appoint a Secretary in addition to the Commissioner; and

(vi) any other administrative officer by any name and designation as deemed necessary.”; and

(ii) after sub-section (1), so amended and before the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:-

“(1A) The State Government may, by notification in the Official Gazette, delegate such of the powers, functions or duties of the Commissioner of the Municipal Corporation to an Additional Commissioner or a Deputy Commissioner appointed under clause (ii) of sub-section (1), as it may think fit.”.

———

STATMENT OF OBJECTS AND REASONS

It is proposed that the Chief Municipal Officers in the Municipal Corporation may be designated as Commissioners instead of present designation "Chief Executive Officer and Commissioner". It is also proposed that to assist the Commissioners of the Municipal Corporation in discharge of their functions, a provision for appointment of Additional Commissioners and Deputy Commissioners may also be made and the State Government may be empowered to assign the powers, functions and duties of the Chief Municipal Officers. Accordingly section 2 (xiii) (a) and section 332 (1) is proposed to be amended suitably and new sub-section (1A) is proposed to be inserted in section 332 of the Municipalities Act, 2009.

The existing clause (ii) of sub-section (3) of section 55 of the said Act provides for constitution of only one committee for health and sanitation for the purpose of controlling the matters of health and sanitation, effectively. For limiting the number of committees, i.e. one committee for wards upto fifty, two committees for fifty one wards to seventy five wards and three committees for wards exceeding seventy five, the existing clause (ii) of sub-section (3) is proposed to be amended.

In order to enable the Municipalities to grant lease hold rights to the holders of such of the non-agricultural land situated within the local area of municipality, who may be willing to surrender their right and interest thereon a new section 69-A is sought to be inserted in the said Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

jktiky flag 'ks[kkor]
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to the manner in which the person may surrender his rights in the land in favour of a Municipality.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

jktiky flag

'ks[kkor]

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009
(Act No. 18 of 2009)

XX XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(i) to (xii) xx xx xx xx xx

(xiii) "Chief Municipal Officer" means,-

(a) the Chief Executive Officer and Commissioner, in case of a Municipal Corporation;

(b) the Commissioner, in case of a Municipal Council; and

(c) the Executive Officer, in case of a Municipal Board;

(xiv) to (lxxiii) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

55. Committees.- (1) to (2) xx xx xx xx

(3) In addition to the Executive Committee, every Municipality shall also constitute the following Committees consisting of not more than ten members, namely:-

(i) a finance committee;

(ii) a health and sanitation committee;

(iii) a buildings permission and works committee;

(iv) a slum improvement committee;

(v) a rules and bye-laws committee;

(vi) a compounding and compromising of offences committee; and

(vii) looking to the functions of a Municipality, it may also constitute such other committees, not exceeding eight in case of Municipal Corporation, not exceeding six in case of Municipal Council, and not exceeding four in

case of Municipal Board, as it may deem necessary:

Provided that the State Government may, looking to the functions of a Municipality, increase the maximum limit of committees specified in this clause.

(4) to (5) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

332. Rajasthan Municipal Administrative Service.- (1) Subject to the forgoing provisions of this Chapter and the rules made under section 337 or any other provision of this Chapter, the State Government shall appoint-

(i) one Chief Executive Officer for every Municipal Corporation,

(ii) such number of Commissioners for every Municipal Corporation and Municipal Council as may be determined,

(iii) an Executive Officer for every Municipal Board,

(iv) a Secretary for every Municipal Corporation or Municipal Council which resolves to appoint a Secretary in addition to the Commissioner, and

(v) any other administrative officer by any name and designation as deemed necessary.

(2) to (3) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.21

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(राजपाल सिंह शेखावत, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 21 of 2015

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Special Secretary.

(Rajpal Singh Shekhawat, **Minister-Incharge**)